भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2939**

दिनांक 5 अगस्त , 2021 / 14 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन नियम

2939. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ड्रोन नियम, 2021 को सरल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उदार ड्रोन नीति बनाते समय रक्षा प्रतिष्ठानों पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले को ध्यान में रखा है; और

(घ) इष्टतम क्षमता के लिए ड्रोन उद्योग का किस प्रकार उपयोग किए जाने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) , विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ख): जी, हाँ। सरकार ने दिनांक 15 जुलाई 2021 को भारत के राजपत्र में ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा प्रकाशित किया है।

ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा ड्रोन उपयोग के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि पंजीकरण, स्वामित्व, अंतरण, आयात, ड्रोन यातायात प्रबंधन का प्रचालन, शुल्क और दंड का भुगतान, आदि को शामिल करता है। सभी असैनिक ड्रोन गतिविधियों को इन नियमों के तहत विनियमित किया जाएगा।

उसमें प्रस्तावित कुछ प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विभिन्न प्राधिकारों, लाइसेंसों, परमिटों, प्रमाणपत्रों एवं अनुमोदनों को रद्द करने का प्रस्ताव है। इनमें- विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता का प्रमाणपत्र, रखरखाव का प्रमाणपत्र, आयात मंजूरी, प्रचालक परमिट, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकार, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट प्रशिक्षक प्राधिकार, ड्रोन पोर्ट प्राधिकार, आदि।

ii. अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के लिए उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र, विशिष्ट पहचान संख्या तथा पूर्व उड़ान अनुमति को रद्द करने का प्रस्ताव है।

iii. 'डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म' को व्यापार के अनुकूल, सिंगल-विंडो ऑनलाइन प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम मानव इंटरफेस होगा एवं अधिकांश अनुमतियां स्व-सृजित होंगी।

iv. विभिन्न शुल्कों को रद्द कर दिया गया है या महत्वपूर्ण रूप से युक्तिसंगत बनाया गया है। प्रस्तावित शुल्क का ड्रोन के आकार से कोई संबंध नहीं है।

v. ड्रोन प्रचालकों की सुविधा हेतु डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले एवं लाल क्षेत्रों के साथ इंटरेक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा।

vi. ग्रीन जोन में 400 फीट की ऊंचाई तक तथा हवाईअड्डे की परिधि से 8 एवं 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट की ऊंचाई तक प्रचालन हेतु उड़ान की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

vii. माइक्रो ड्रोन (गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए), नैनो ड्रोन एवं अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

viii. ड्रोन नियम, 2021 के अंतर्गत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम करने का प्रस्ताव है। इसमें ड्रोन टैक्सियां भी शामिल होंगी।

ix. प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 करने का प्रस्ताव है।

(ग): जी, हाँ। देश में ड्रोनों से संबंधित नियमों का अनुपालन न करने वाले खतरे का सामना करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 मई 2019 को आवश्यक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

(घ): ड्रोन नियम, 2021 के मसौदे के अंतर्गत प्रस्तावित उपायों से भारत में ड्रोन संबंधित कार्य करने में सुगमता और वृद्धि की अपेक्षा है। मसौदा नियमों में ड्रोन प्रमोशन काउंसिल की परिकल्पना की गई है, जिसमें उद्योग के विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों को, अन्य बातों के साथ-साथ, एक व्यापार-अनुकूल विनियामक व्यवस्था का विकास तथा ड्रोन प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु इनक्यूबेटरों एवं अन्य सुविधाओं की स्थापना करना शामिल है। यह कृषि, खनन, स्वास्थ्य सेवा, भू-स्थानिक मानचित्रण, मीडिया एवं मनोरंजन, अवसंरचना परियोजनाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के अधिक से अधिक उपयोग को सक्षम बना सकता है।

*****